हमारे जीवन में मानवाधिकार शिक्षा का महत्त्व

डॉ राजेन्द्र प्रसाद

अग्रवाल कॉलेज आफ एजुकेशन

बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा

शोध सार

मानव के अधिकारों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो बहुआयामी स्वरूप स्पष्ट होता है। जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। मानवाधिकारों से संबंधित घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का अधिकार है।इसमें शिक्षा का महत्व दृष्टिगोचर होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकारों के संदर्भ में घोषणा में व्यक्ति व समाज के द्वारा शैक्षिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को संवर्धित करने के लिए कहा गया है। भारत जैसे विभिन्नताओं से भरे देश में समायोजन हेतु मानवाधिकार शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है।समाज में व्याप्त अनाचार,दुर्बल वर्ग, महिला आदि के अधिकारों के हनन के तमाम समाचार हम प्राय: प्रतिदिन ही सुनते रहते हैं।

प्रस्तावना - अधिकारों का संबंध व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र में प्राप्त स्वतंत्रता से है।मानवाधिकारों से तात्पर्य मानव होने के नाते प्राप्त अधिकारों से है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 में मानवाधिकारों के संदर्भ में विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है।शैक्षिक दृष्टिकोण से मानवाधिकार बालक के अंदर ऐसे गुणों को पोषित करने में सहायता करना है, जिससे उसके अंदर मानवतावादी मूल्यों का विकास हो सके।शिक्षा का अधिकार, शिक्षा में समान अवसर का अधिकार, भेदभाव रहित शिक्षा प्राप्ति का अधिकार आदि शिक्षा से संबंधित मानवाधिकार है। इसका उद्देश्य मानव में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा जैसे लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना है। व्यक्ति के लिए जितना महत्वपूर्ण अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशीलता है।उतना ही महत्वपूर्ण अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता है। प्राथमिक स्तर से ही बालकों में मानव अधिकार के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। क्योंकि शैशवावस्था का प्रभाव अमिट रूप से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को बालकेंद्रित बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।मानवाधिकारों के प्रति जागृति हेतु विभिन्न संचार माध्यमों के प्रयोग की आवश्यकता है।मानवाधिकार तथा शिक्षा प्रत्यक्ष संबंधित

है।क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए उत्तरदाई है।जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनता है।शिक्षा तथा मानवाधिकार अन्योन्याश्रित है।

मनुष्य को अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु जागरूकता आवश्यक है। और शिक्षा जागरूकता उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।इसलिए मानवाधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका नि:संदेह बहुत बड़ी है।प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सहज एवं सुखी बनाने के लिए अपने अधिकारों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। निरक्षर व्यक्ति प्राय: इससे अनभिज्ञ होता है, यदि उसे पता भी होता है, फिर भी उसके संरक्षण के कानूनी उपायों की जानकारी नहीं होती है। इसके लिए कुछ और शैक्षिक उपायों में दूर संचार माध्यमों व स्वयंसेवी संगठनों द्वारा मानव में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है,परंतु यह नाकाफी साबित होते हैं।

मानवाधिकार शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य में अच्छे नागरिक गुणों का विकास करना है।उनमें सत्य, अहिंसा,अपरिग्रह आदि गांधीवादी मूल्यों का विकास करना है। राष्ट्र के विकास हेतु पर्यावरण संवर्धन अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति सम्मान आदि का विकास करना है। मानवाधिकार शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के संतुलित विकास को गति प्रदान करना तथा व्यक्ति मैं स्वतंत्रता,समानता, भ्रातृत्व आदि लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना है। जिससे आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना अच्छे ढंग से कर सकें। मानवाधिकार शिक्षा द्वारा मनुष्यों में देश की विविधता को समझ कर उसमें एकता संवर्धन करने वाले बिंदुओं को उभारने हेतु उनमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक आदि गुणों का विकास करना है।मानवाधिकार शिक्षा का सबसे मुख्य लक्ष्य लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक सभ्य समाज का निर्माण करना है जिससे राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के साथ अंतर्राष्ट्रीयता की भावना भी पुष्ट हो सके।

मानवाधिकार शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक स्तर से ही होना चाहिए। क्योंकि शैशवावस्था में बालक का मस्तिष्क बड़ा ही ग्राह होता है, और इस पर पड़ा प्रभाव दीर्घकालिक होता है।यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की आधारशिला है।आधुनिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा आज बाल केंद्रित हो गई है।प्राथमिक स्तर पर खेल पर आधारित विधियों एवं प्रत्यक्ष प्रविधियों के द्वारा बालकों को मानवाधिकार हेतु जागृत किया जा सकता है।विभिन्न महापुरुषों की प्रेरणादायक कहानियां, किस्सों के द्वारा जागृति संभव है। इसके अतिरिक्त जनसंचार माध्यम यथा टेलीविजन,रेडियो,पोस्टर,चलचित्र आदि के द्वारा भी मानवाधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है।माध्यमिक स्तर पर भी इन्हीं व्यवस्थाओं के द्वारा ही मानवाधिकार शिक्षा दी जा सकती है।प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम के अतिरिक्त इस स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रतिवेदन तैयार करना, विचार-विमर्श आदि के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

छात्रों में अधिकारों के साथ दायित्व बोध भी विकसित किया जाना चाहिए,क्योंकि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। उच्च स्तर का छात्र किशोर होता है। यही वह स्तर है, जब उसमें मानवाधिकार हेतु एक स्पष्ट विचारधारा का विकास होना चाहिए। इस समय उसमें दायित्व बोध उत्पन्न हो जाता है। सर्वप्रथम शिक्षकों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। उनका कार्य एवं व्यवहार मानवाधिकार को पोषित करने वाला होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सामान्य लक्षणों में व्यक्ति में सामाजिक मूल्य एवं कुशलताओं का विकास,पारस्परिक सामंजस्य के विकास के साथ व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना है व्यक्ति के समाजीकरण में योगदान, अपने कर्तव्यों व अधिकारों में समन्वय स्थापित करना,अन्य मानवों के अधिकारों के प्रति आदर भाव का विकास,शोषण मुक्त समाज का निर्माण,व्यक्तिगत विकास के साथ राष्ट्र के विकास में योगदान हेतु तत्परता का विकास करना, पूर्वाग्रह को त्याग कर सामाजिक समभाव का विकास करना तथा व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना है।जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है,कि मानवाधिकारों की रक्षा हेतु सर्वप्रथम अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता होती है।जागरूकता के उपरांत ही उसका संरक्षण संभव है।जागरूकता के लिए शिक्षा सबसे सशक्त साधन है। उसके उपरांत जन संचार के साधनों के प्रयोग के द्वारा जन जागरूकता फैलाई जा सकती है। इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग अपेक्षित है तथा मानवाधिकार प्रारंभिक कक्षाओं से ही पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग होना चाहिए।

सुखी एवं समृद्ध जनता ही किसी भी देश के विकास का मापदंड है। दरिद्रता की अवस्था में सुख पूर्वक जीने हेतु मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है। कुत्सित राजनीति पूर्ण व्यवहार का महाविद्यालय में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।पाठ्यक्रम आवश्यकतानुसार हो,महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का वातावरण पूर्णतया लोकतांत्रिक होना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था हो तथा उनका चुनाव मानवाधिकारों के संरक्षण एवं चेतना के विकास के अनुरूप होना चाहिए। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के समान ही शिक्षक अभिभावक मीटिंग का आयोजन भी मानवाधिकारों के प्रति जागृति को प्रोत्साहित करेगी। उच्च स्तर पर मानसिक योग्यताये विकसित हो जाती हैं। इस स्तर पर बौद्धिक कार्यक्रम यथा संगोष्ठी,वाद-विवाद, विचार-विमर्श, नाटक,साहित्य के द्वारा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए।अध्यापक को ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए,जिसमें छात्रों को स्वयं क्रियाशील रहने का अवसर मिले।उन्हें मार्गदर्शक की भूमिका में रहना चाहिए। स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अनुशासन की व्यवस्था आंतरिक होनी चाहिए।

शिक्षा का अर्थ साक्षरता से नहीं है। साक्षरता तो एक साधन है, जिससे स्त्री और पुरुषों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। शिक्षा मनुष्य को एक मानव बनाती है।उसे उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों से परिचित कराती है।उसके सर्वांगीण विकास हेतु उत्तरदाई है।जब एक राष्ट्र अधिक संख्या में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने में सफल होता है,जो शरीर से स्वस्थ हो और मानसिक रूप से दृढ़ हो तथा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो,वहीं राष्ट्र वर्तमान विश्व पटल पर ख्याति रूप में स्थापित हो सकता है।किसी भी व्यक्ति के सुख पूर्वक जीवन जीने के लिए केवल आर्थिक नियोजन ही पर्याप्त नहीं है, अपितु ऐसे नागरिकों का निर्माण भी आवश्यक है,जो ज्ञानी हो तथा शारीरिक,नैतिक,मानसिक एवं चारित्रिक रूप से सुदृढ़ हो।

इनके निर्माण का दायित्व वर्तमान परिस्थिति में शिक्षक पर सर्वाधिक है।

राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालकों, महिलाओं एवं मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए समय-समय पर अनेक कानून बनाए गए है।भारतीय संविधान ने भी प्रत्येक भारतवासी को समानता,स्वतंत्रता सामाजिक न्याय,संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनके संरक्षण हेतु न्यायालय को उत्तरदाई ठहराया गया है। सम्मिलित रूप से विभिन्न अधिकारों से संबंधित व्यवस्थाओं की चर्चा आवश्यक है।

१-राज्य अपने क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा।

२-बच्चों पर विभिन्न प्रकार की कानूनी कार्यवाहिओं में उनके वास्तविक हितों की रक्षा होनी चाहिए

३- बच्चे को उनके माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है।

४- राज्य नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की जैसे बाक, निवास आदि की स्वतंत्रताओ की रक्षा करेगा।

५- प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति की रक्षा एवं विकास का अधिकार है।

६-6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनवार एवं निशुल्क शिक्षा का अधिकार है।

७- प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है।

८- शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है।

९- मूल अधिकारों के हनन पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।

१०- अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार है।

सारांश- उपरोक्त वर्णन के उपरांत सार रूप में कहा जा सकता है, कि शांति,सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए वर्तमान समय में व्यक्ति की आत्मसम्मान,गरिमा आदि की सुरक्षा आवश्यक है।इस हेतु उसके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब-जब मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तब-तब उसकी परिणति हमें विद्रोह के रूप में दिखाई दी है।विभिन्न देशों की क्रांति हो या भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया हो,सभी में प्रथमत: मानवाधिकार ही उत्तरदाई था,और विद्रोह के पीछे शिक्षा द्वारा प्राप्त जागरूकता।कानून का शासन स्थापित करने के लिए एक भयमुक्त समाज की स्थापना के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है। और उसके प्रति संवेदनशीलता हेतु वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है।यह सब एक समृद्ध एवं सुखी राष्ट्र के लिए अस्वयंभावी है।

संदर्भ-

१-पाठक पी.डी.,व त्यागी, भारतीय शिक्षा के सिद्धांत, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, २००७

२-सक्सेना एन..आर.स्वरूप, शिक्षा सिद्धांत, आर. एल. बुक डिपो मेरठ, २००८।

३-सूद विजय, आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा, टंडन पब्लिकेशन लुधियाना।

४-पारीक एम.व रजनी वर्मा, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा,शिक्षा प्रकाशन।२००४

वेब साइट्स-

१-www.google.com

२-www.wikipedia.com

Contributors Details:

डॉ राजेन्द्र प्रसाद

अग्रवाल कॉलेज आफ एजुकेशन

बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा